तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/4020/2006/भीलवाडा** **राजस्थान सरकार बनाम मदनदास**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :

श्री एस0एन0 बेनीवाल, उप राजकीय अधिवक्ता।
अधिवक्ता अप्रार्थी व अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांकः— 07.05.2026

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत न्यायालय अपर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 12.05.2006 द्वारा मंडल को प्रेषित किया है।

रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार, कोटड़ी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय अपर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बोरड़ा तहसील कोटड़ी में स्थित साबिक बंदोबस्त् आराजी संख्या 494/1 रकबा 1.12 बीघा, आराजी खसरा संख्या 499/2 रकबा 5.04 बीघा, आराजी संख्या 495 रकबा 1.14 बीघा, आराजी संख्या 499/1 रकबा 0.05 बीघा, आराजी संख्या 522 रकबा 0.02 बीघा, आराजी संख्या 521 रकबा 1.05 बीघा भूमि जो मंदिर मूर्ति ठाकुरजी स्थान देह के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज रिकार्ड थी। नवीन बंदोबस्त् के दौरान उक्त आराजी भू–भाग के नवीन आराजी संख्या 1466 रकबा 2.18 बीघा, खसरा संख्या 1467 रकबा 2.15 बीघा, खसरा संख्या 1471 रकबा 0.04 बीघा, खसरा संख्या 1491 रकबा 0.05, खसरा संख्या 1492 रकबा 1.10 बीघा, खसरा संख्या 1470/1 रकबा 0.16 बीघा कायम करते हुए विपक्षीगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दिया गया, जो अवैध है। चूंकि ऐसी आराजी शाश्वत नाबालिग होती है। इस प्रकार मंदिर मूर्ति की भूमि का नियम विपरीत हस्तांतरण हुआ है, जिसे हटा कर वापिस खातेदारी मंदिर मूर्ति श्री ठाकुरजी स्थान देह के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान करें। न्यायालय अपर जिला कलक्टर, भीलवाडा ने अपने निर्णय दिनांक 12.05.2006 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हस्तगत रेफरेंस प्रकरण माननीय मण्डल को प्रेषित किया है ।

विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस रेफरेंस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई ।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि जमाबंदी संवत् 2010 से 2013 में अंकित आराजी खसरा संख्या 494/1, 499/2, 495, 499/1, 522, 521 जो ठाकुरजी स्थान देह के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की हुई है, जिसको भू–प्रबंध विभाग द्वारा अपने बंदोबस्त् कार्य के दौरान तैयार किए गए पत्रक में गत खसरा संख्या 494/1, 499/2, 495, 499/1, 522, 521 के नवीन खसरा संख्या 1466

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/4020/2006/भीलवाडा** **राजस्थान सरकार बनाम मदनदास**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रकबा 2.18 बीघा, खसरा संख्या 1471 रकबा 0.04 बीघा, खसरा संख्या 1491 रकबा 0.05, खसरा संख्या 1492 रकबा 1.10 बीघा, खसरा संख्या 1470/1 रकबा 0.16 बीघा कायम कर ठाकुरजी स्थान देह के बजाय बिना किसी आधार के विपक्षीगण के नाम अभिलिखित कर दिया है, जबकि भू–प्रबंध विभाग को इस प्रकार के परिवर्तन करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। मंदिर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है और उसकी भूमि पर पुजारी या किसी अन्य को काश्त करने से कोई स्वत्व या अधिकार प्राप्त नहीं होते है। यदि इस प्रकार के अधिकार किसी व्यक्ति को प्राप्त हो भी गए है तो वह राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के विपरीत है तथा प्रारंभ से ही प्रभाव शून्य है। चूंकि काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 में मंदिर को शाश्वत नाबालिग माना गया है। नाबालिग के हितों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। विपक्षीगण के खाते में नियमों के विरूद्ध मंदिर की भूमि को दर्ज किया गया है। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर भूमि को अप्रार्थीगण की निजी खातेदारी से हटा कर पुनः मूर्ति मंदिर श्री ठाकुरजी स्थान देह के खाते में दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करावें। हमनें विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया और अपर जिला कलेक्टर की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व निर्णय का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम बोरड़ा तहसील कोटड़ी की खतौनी बंदोबस्त् संवत् 2010–13 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी संख्या 494/1 रकबा 1.12 बीघा, आराजी खसरा संख्या 499/2 रकबा 5.04 बीघा, आराजी संख्या 495 रकबा 1.14 बीघा, आराजी संख्या 499/1 रकबा 0.05 बीघा, आराजी संख्या 522 रकबा 0.02 बीघा, आराजी संख्या 521 रकबा 1.05 बीघा भूमि जो मंदिर मूर्ति ठाकुरजी स्थान देह के नाम राजस्व अभिलेख में अभिलिखित की हुई थी, जिसे बंदोबस्त् विभाग ने सेटलमेंट ऑपरेशन के समय नवीन आराजी संख्या 1466 रकबा 2.18 बीघा, खसरा संख्या 1471 रकबा 0.04 बीघा, खसरा संख्या 1491 रकबा 0.05, खसरा संख्या 1492 रकबा 1.10 बीघा, खसरा संख्या 1470/1 रकबा 0.16 बीघा कायम करते हुए अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज कर दी गई है। यह कार्यवाही नियम विरूद्ध बिना किसी आदेश के हुई है तथा वर्तमान में उक्त आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जो कि अवैध है। ऐसी आराजी को निजी व्यक्तियों की खातेदारी में अभिलिखित नहीं किया जा सकता है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग (Perpetual Minor) होती है तथा शाश्वत नाबालिग के हितों की रक्षा करना न्यायालय का दायित्व है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 45 (4) व 46 ए के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है। नाबालिग स्वंय काश्त करने में असमर्थ है, अतः उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों को आराजी काश्त पर दी जा सकती है और यदि मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी अन्य को अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो गये है तो वह प्रभाव शून्य माने जावेगें । अतः हस्तगत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/4020/2006/भीलवाडा** **राजस्थान सरकार बनाम मदनदास**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि बाबत् अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी निरस्त किये जाने योग्य तथा विवादित भूमि पुनः मूर्ति मंदिर श्री ठाकुरजी स्थान देह की खातेदारी में दर्ज किया जाना उचित एवं विधिसम्मत् प्रतीत होता है। परिणामस्वरूप न्यायालय अपर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 12.05.2006 के क्रम में मण्डल के समक्ष प्रस्तुत यह रेफरेंस स्वीकार किया जाकर ग्राम बोरड़ा तहसील कोटड़ी में स्थित आराजी खसरा संख्या 494/1 रकबा 1.12 बीघा, आराजी खसरा संख्या 499/2 रकबा 5.04 बीघा, आराजी संख्या 495 रकबा 1.14 बीघा, आराजी संख्या 499/1 रकबा 0.05 बीघा, आराजी संख्या 522 रकबा 0.02 बीघा, आराजी संख्या 521 रकबा 1.05 बीघा भूमि जिसके नवीन खसरा संख्या 1466 रकबा 2.18 बीघा, खसरा संख्या 1471 रकबा 0.04 बीघा, खसरा संख्या 1491 रकबा 0.05, खसरा संख्या 1492 रकबा 1.10 बीघा, खसरा संख्या 1470/1 रकबा 0.16 बीघा बने है का मूर्ति मंदिर श्री ठाकुरजी स्थान देह की खातेदारी से हटाकर उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण को दी गई खातेदारी एवं इसके पश्चात् स्वीकृत समस्त नामांतकरणों एवं राजस्व रिकार्ड में हुए इन्द्राजों को निरस्त किया जाता है तथा उक्त भूमि पुनः मूर्ति मंदिर श्री ठाकुरजी स्थान देह की खातेदारी में दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नंबर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(भवानी सिंह पालावत)** **सदस्य**	